न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी — जोगेन्द्रसिंह (RAS)

प्रकरण सं. - 24/19 — दायर दिनांक 07-03-19

1. श्रीमति प्रेमवती पत्नि रामसिंह जाति -जाटव निवासी ऊहलू तहसील मुसावर (भरतपुर) (मृतक)

1/1 - गोपालसिंह पुत्र रामसिंह
1/2 - जयप्रकाश पुत्र रामसिंह
1/3 - रामसिंह पुत्र मदनलाल
} जाति - जाटव निवासी ऊहलू तहसील मुसावर

1/4 - इन्दिरा पुत्री रामसिंह पत्नी बलवीर जाति जाटव निवासी प्लॉट नं. 31 जय जवान कॉलोनी जयपुर

----वादीगण

बनाम

1. मानसिंह पुत्र अजीराम
2. जलसिंह पुत्र मालसिंह
3. उन्नत पुत्र मालसिंह
} जाति - जाट निवासी बाछरैन तहसील मुसावर

4. मलुका पुत्र मालसिंह
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मुसावर भरतपुर

----प्रतिवादीगण

दावा विभाजन व हुक्म इम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 53 व 188 RTA

अधिवक्ता 1. श्री छोटेलाल मीना - वादीगण
2. श्री सुशील कुमार पाण्डेय

निर्णय दिनांक 11.3.22

वादिनी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है आ० ख० नं. 890 रकबा 0.3200 हेक्टर में वादिनी 19/20 हिस्सा की व प्रतिवादी संख्या एक 1/20 हिस्सा के तथा आराजी खसरा नम्बर 885 रकबा 0.3200 हेक्टर में वादिनी 9/40 हिस्सा की तथा प्रतिवादी संख्या एक 17/80 हिस्सा का एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 बहिस्सा बराबर 9/16 हिस्सा के बाके ग्राम बाछरैन तहसील मुसावर के काबिज काश्तकार एवं खातेदार है, तथा उसी प्रकार से राज्य सरकार लगान अदा करते हुए आराजी पर काश्त करते चले आ रहे हैं।

उक्त आराजीयात वादिनी एवं प्रतिवादीगण सं. एक की संयुक्त काश्तकारी एवं संयुक्त खातेदारी की

उपखण्ड अधिकारी
(भरतपुर)

अविभाजित आराजी है, जिसका विभाजन अभी तक बाई मीट्स एवं बाऊण्ड नहीं हुआ है। परन्तु आराजी को वादिनी व प्रतिवादीगण बाहमी मनवट के अनुसार अपने अपने हिस्सों पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत 4 बहुत ही चतुर एवं चालाक किस्म के व्यक्ति है, जो वादिनी को उसके हिस्से का पूरा पूरा लाभ प्राप्त नहीं होने देते हैं।

वादिनी द्वारा प्रतिवादीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द करा जाने की अधिकारिणी है तथा उक्त आराजीयात का विभाजन वादिनी एवं प्रति वादीगण सं० एक ता चार के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाऊण्ड किया जाकर अलग-2 कुरे कायम कराये जाने बाबत निवेदन किया गया है।

वादिनी द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड एडी डाक द्वारा की गई नोटिस की तामील में प्रतिवादी सं० 1 लगायत 4 की ओर से वकालतनामा श्री सुशील कुमार पाण्डेय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादीगण एवं उनके अधिवक्ता को पेश करने जबाब कई बार अवसर दिये जाने के बावजूद भी जबाब पेश नहीं किये जाने पर जबाब बन्द किया गया।

हमने अधिवक्ता वादिनी को सुना गया पत्रावली तथा उसमें प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन करने पर पाया गया कि दावा वादी दिनांक 24.02.20 दावा वादिनी प्रारंभिक डिक्री किया जा चुका है। उक्त प्रारंभिक डिक्री आदेश की पालना में तहसीलदार मुसावर द्वारा विभाजन प्रस्ताव भिजवाये गए।

दौराने दावा वादिनी की मृत्यु होने के कारण उनके अधिवक्ता द्वारा दिनांक 7.3.22 को प्रा० पत्र ० 22 R 3 जा०दी० पेश किया गया तथा उनकी ओर वकालतनामा एवं संशोधित टाइटल प्रस्तुत किया गया प्रा० पत्र ० 22 R 3 स्वीकार किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वादी अधिवक्ता को सुना गया तथा पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार मुसावर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव अनुसार नियमों के परिप्रेक्ष्य मे दावा वादी स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः दावा वादी विभाजन प्रस्ताव अनुसार स्वीकार कर डिक्री किया जाता है।

[illegible] किया जावे।